-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 23.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2023 में थाना बबेरू क्षेत्र में व्यक्ति की हत्या करने वाले पति-पत्नी को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व 86 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2023 में थाना बेबरू क्षेत्र अन्तर्गत व्यक्ति की हत्या करने वाले पति-पत्नी को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 10.12.2023 को थाना बबेरू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सतन्याव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था जिसके सम्बन्ध में मृतक के भाई की तहरीर पर थाना बबेरू में मु0अ0स0 566/23 धारा 394/302/411 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बबेरू श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए अभियुक्तों को दिनांक 12.12.2023 को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री बसंत शिवहरे व शशिभूषण श्रीवास्तव द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी मानवेन्द्र तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के अथक प्रयासों से दोनो अभियुक्तो (पति-पत्नी) को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 86 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. देवेश पुत्र सत्यदेव निवासी सतन्याव थाना बबेरु जनपद बांदा।
2. गीता पत्नी देवेश निवासी सतन्याव थाना बबेरु जनपद बांदा।